ग्राम–सिमरिया, तहसील उरई, जनपद–जालौन के गाटा संख्या–864/320 एवं 865/320 पर 27.52 हेक्टेयर (68 एकड़) क्षेत्रफल में श्री करन सिंह प्रस्तावित पट्टाधारक की सैण्ड/मोरम माइनिंग प्रोजेक्ट के प्रस्ताव पर आयोजित लोकसुनवाई दिनांक–13.07.2012 का कार्यवृत्त

उपरोक्त संदर्भित प्रस्तावित सैंड/मोरम माइनिंग प्रोजेक्ट के पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बंधी प्रस्ताव उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्राप्त हुआ था। प्राप्त प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक–14.9.2006 यथासंसोधित एस.ओ.–3067 दिनांक–01.12.2009 के अनुपालन में लोक सुनवाई आयोजित करने सम्बंधी प्रस्ताव जिलाधिकारी जालौन के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। प्रस्तुत प्रस्ताव पर जिलाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई दिनांक–13.07.2012 को ग्राम सिमरिया, तहसील–उरई, जनपद–जालौन में आयोजित करने सम्बंधी प्राप्त निर्देश के अनुपालन में लोक सुनवाई संदर्भित अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सुनवाई की तिथि से एक माह पूर्व हिन्दी दैनिक समाचार पत्र ''हिन्दुस्तान'' के कानपुर संस्करण में दिनांक–10.6.2012 को एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र ''द टाइम्स आफ इण्डिया'' के लखनऊ संस्करण में दिनांक–11.6.2012 में प्रकाशित करायी गयी थी।

आज दिनांक–13.7.2012 को जिलाधिकारी जालौन द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी, श्री लोक पाल सिंह की अध्यक्षता में अपरान्ह 02.00 बजे से प्रस्तावित खनन स्थल के समीप ग्राम सिमरिया के प्राथमिक विद्यालय में लोक सुनवाई आयोजित की गयी।

उक्त लोकसुनवाई में निम्नांकित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।

1. श्री लोक पाल सिंह, अपर जिलाधिकारी, जनपद–जालौन।
2. श्री राम गोपाल, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।
3. डा0 टी0 एन0 सिंह, सहा0 वैज्ञा0 अधि0, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।
4. श्री महेन्द्र पाण्डेय, परामर्शी मे0 इण्ड टेक हाउस कन्सल्ट, रोहिणी, दिल्ली।
5. अन्य उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति की छायाप्रति संलग्न है।

लोकसुनवाई कार्यक्रम के प्रारम्भ में उपस्थित जनसमुदाय को डा0 टी0 एन0 सिंह, सहा0 वैज्ञा0 अधि0, उ0 प्र0 प्र0 नि0 बोर्ड, झांसी द्वारा अध्यक्ष महोदय से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति लेने के पश्चात् प्राप्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि बेतवा नदी के ग्राम सिमरिया में श्री करन सिंह सैण्ड/मोरम माइनिंग हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव बोर्ड में प्राप्त होने के पश्चात् जिलाधिकारी जालौन से लोक सुनवाई की तिथि नियत करने सम्बंधी पत्र प्रेषित किया गया था। जिलाधिकारी जालौन द्वारा दिनांक–13.7.2012 को लोकसुनवाई आयोजित किये जाने की तिथि नियत की गयी थी। पट्टेधारक द्वारा मे0 इण्ड टेक हाउस कन्सल्ट, रोहिणी, दिल्ली को पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एवं पर्यावरणीय

प्रबन्ध योजना तैयार करने हेतु परामर्शी नियुक्त किया गया था। परामर्शी द्वारा पर्यावरण के विभिन्न घटकों का अनुश्रवण/आकड़ों का एकत्रण कर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट/पर्यावरणीय प्रबंधन योजना बोर्ड में प्रेषित की गयी थी। उक्त आकड़ों से लोकसुनवाई में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराने हेतु डा0 टी0 एन0 सिंह द्वारा परामर्शी को निर्देश दिये गये।

परामर्शी द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन/पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया तथा खनन कार्य से पड़ने वाले प्रभाव से भी अवगत कराया गया। एकत्रित ऑकड़ों से सुस्पष्ट है कि खनन क्षेत्र में 10 किमी की त्रिज्या में प्रदूषण का स्तर भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

अग्रेतर अवगत कराया गया कि खनन कार्य से उत्पन्न वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उक्त परियोजना में पानी के छिड़काव एवं बालू को गीला कर ही परिवहन किया जाना प्राविधानित है। यदि पट्टेधारक द्वारा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना में सुझाये गये उपायों के अनुरूप खनन/परिवहन का उपयोग इत्यादि कार्य किया जाता है तो पर्यावरण पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

डा0 टी0 एन सिंह द्वारा लोकसुनवाई में अवगत कराया गया कि परामर्शी द्वारा बोर्ड में प्रेषित पर्यावणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट/पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुसार 03 मीटर की गहराई तक अथवा भूगर्भ जल के मिलने तक अथवा दोनों में जो कम हो, तक ही खनन किया जाना प्राविधानित है, तथा यह भी प्राविधान किया गया है खनन कार्य में किसी भी तरह की मशीनरी का प्रयोग नहीं किया जायेगा। समस्त खनन कार्य मजदूरों से ही कराया जायेगा तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्यावरण प्रबन्ध योजना में जो भी प्राविधान किये गये हैं, उन शर्तो के साथ ही पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने हेतु आवश्यक संस्तुति की जायेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी श्री राम गोपाल द्वारा परामर्शी से प्रस्तावित खनन क्षेत्र के आस-पास 60 एकड़ क्षेत्र में स्थित पेड़ों की संख्या एवं खनन कार्य से पेड़ों के कटान से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया।

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त क्षेत्र में पेड़ नहीं हैं, मात्र झाड़ियॉ हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जानना चाहा गया कि खनन क्षेत्र में कोई दुर्लभ प्रजाति की जंगली जानवर व दुर्लभ प्रजाति की वनस्पतियॉ पायी गयी हैं।

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि दुर्लभ प्रकार की पंजातियॉ एवं जंगली जानवर नहीं हैं। मात्र एक दो सियार पाये गये हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनता से सुझाव/टिप्पणियॉ मांगे गये।

श्री नन्द राम द्वारा अगत कराया गया कि मेरे पास मात्र 04 बीघा जमीन है एवं जमीन नदी के तलहटी में होने के कारण अवैध खनन करने वालों ने समस्त बालू उठा लिये हैं जिसका कोई मुआवजा नहीं है।

खनिज विभाग के सर्वेक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि शिकायत प्राप्त पर जॉच करने के उपरान्त उचित दर से मुआवजा दिया जायेगा।

श्री प्रभू दयाल, सिमरिया द्वारा उनके गाटा संख्या–320 में 40–50 फिट तक अवैध खनन किये जाने के संबंध में शिकायत की गयी।

खनिज विभाग के सर्वेक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि नियमानुसार मुआवजा दिया जायेगा।

श्री राम आधार सिमरिया द्वारा अवगत कराया गया कि उनके खेत से ट्रकों का रास्ता निकला है, परन्तु मुआवजा नहीं दिया जा रहा है।

खनिज विभाग के सर्वेक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि शिकायत का संज्ञान लिया जायेगा एवं नियमानुसार मुआवजा दिलाये जाने की सहमति व्यक्त की गयी।

श्री मुन्ना सिमरिया द्वारा अवगत कराया गाय कि उनके गाटा संख्या–864/865 में खनन कार्य किया जा रहा है परन्तु मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। श्री करन सिंह सिमरिया द्वारा गहराई तक खनन किये जाने की शिकायत की गयी तथा अवगत कराया गया कि खनन कार्य से आस–पास का भूगर्भ जल स्तर नीचे गिर रहा है।

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन पट्टे में मात्र 3 मीटर गहराई तक ही खनन किये जाने की अनुमति है, तथा यह भी अवगत कराया गया कि वर्तमान में भूगर्भ जल स्तर 8 से 10 मीटर है।

डा0 टी0 एन0 सिंह द्वारा पूछा गया कि उक्त आकड़ों की पुष्टि सरकारी विभाग द्वारा करायी गयी है, और क्या ई0आई0ए0 रिपोर्ट में इसका समावेश किया गया है।

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त आकड़े ई0आई0ए0 रिपोर्ट में अंकित नहीं किये गये हैं।

डा0 सिंह द्वारा भूगर्भ जल स्तर के सम्बंध में अंग्रिम/पूरक/अन्तिम ई0आई0ए0 रिपोर्ट में समाहित करने के निर्देश दिये गये जिससे कि भविष्य में भूगर्भ जल स्तर के सम्बंध में उचित निर्णय लिया जा सके।

डा0 सिंह द्वारा अपर जिलाधिकारी से ग्रामीणों के सुझावों/आपत्तियों पर प्रशासन द्वारा कृत कार्यवाही कें सम्बंध में आश्वासन दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

अपर जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि खनन कार्य नियमानुसार ही किया जोयगी। यदि नियम के विरूद्ध खनन कार्य/अवैध खनन किया जाता पाया गया तो सम्बंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी यह भी अवगत कराया गया कि खनन कार्य

प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आरोपित शर्तो के अनुरूप ही खनन की अनुमति दी जायेगी तथा खनन कार्य से पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों के नियंत्रण हेतु समय–समय पर खनन कार्य का अनुश्रवण किया जायेगा। नियमानुसार खनन कार्य नहीं किये जाने पर सम्बंधित पट्टाधारकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी जिससे कि पर्यावरण किसी भी रूप में प्रभावित न हो। ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रशासन द्वारा आवश्यक उपाय किये जायेगें।

अन्त में श्री सिंह द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों को आश्वस्त किया गया कि कोई भी समस्या खनन कार्य से सामने आती है तो सम्बन्धित अधिकारियों को उक्त के निराकस्ण हेतु सूचना दी जायेगी। जॉच सही पाये जाने सम्बंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

श्री सिह द्वारा अपर जिलाधिकारी से सभा समाप्त किये जाने की अनुमति लेने के पश्चात् समस्त को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये लोकसुनवाई के समापन की घोषणा की गयी।

उपरोक्त कार्यवृत्त अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संस्तुति सहित सादर अग्रसारित।

(राम ...)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी

क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
झांसी (उ०प्र०)

(लोक पाल सिंह)
अध्यक्ष / अपर जिलाधिकारी
जनपद–उरई

(ओमपाल सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि रा)
जालौन स्थान उरई